



उत्तराखण्ड शासन

कार्यपूति दिग्दर्शिका

2023-2024



सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग

उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

---

# प्राक्कथन

राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सेवायें सरलता पूर्वक उपलब्ध कराने, विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का सफल उपयोग सुनिश्चित करने तथा समाज के विभिन्न अवयवों को उनकी आवश्यकता अनुसार सूचना सुलभ कराने के लिए उच्चस्तरीय निर्णय के अन्तर्गत शासन स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का गठन उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के उपरान्त किया गया है। वर्ष 2002-03 के उपरान्त प्रत्येक वर्ष विभागीय वार्षिक योजना तैयार की जाती रही है। इस प्रकार विगत बीस वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं को राज्य में सफलता पूर्वक लागू किया है।

राज्य में आईटी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में निवेश के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2018 लागू की गयी है एवं राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक संचार के सुदृढीकरण हेतु भारत सरकार की Right of Way Policy को राज्य हेतु भी अपना लिया गया, इस नीति में राज्य में संचार व्यवस्था सुदृढ किये जाने के उद्देश्य से ऑप्टिकल फाइबर बिछाये जाने, मोबाईल टॉवर स्थापित किये जाने की प्रक्रिया हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। राज्य के नागरिकों को साईबर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से Cyber Crisis Management Plan (CCMP) एवं Critical Information Infrastructure (CII) Guideline का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य में स्टेट डाटा सेंटर का क्रियान्वयन किया जा चुका है एवं डाटा सेंटर पोलिसी भी जारी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त शीघ्र ही उत्तराखण्ड सरकार की ड्रोन पोलिसी जारी की जा रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में विभिन्न अवस्थापना परियोजनायें यथा राज्यव्यापी नेटवर्क (स्वान) तथा स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना कर संचालन किया जा रहा है।

राज्य में ई-गवर्नेन्स के अन्तर्गत नागरिकों को अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों की 554 सेवायें (एकीकृत एवं लिंक को सम्मिलित करते हुये) प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त राजकीय कार्यों में पारदर्शिता एवं दक्षता लाने के उद्देश्य से कार्यालयों एवं संस्थाओं में ई-ऑफिस का क्रियान्वयन कर समस्त कार्यालय कार्यों को डिजिटल माध्यम से सम्पादन किये जानी की कार्यवाही की जा रही है, वर्तमान में सचिवालय, समस्त जिलाधिकारी कार्यालय तथा कतिपय कार्यालयों में ई-ऑफिस का क्रियान्वयन किया जा चुका है।



## अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	मुख्य उद्देश्य- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	1
2.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अवयव	3
3.	अध्याय 1 : नीतियां / दिशानिर्देश	7
4.	अध्याय 2 : सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना	9
5.	अध्याय 3 : सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिक केन्द्रित सेवायें एवं सुशासन	15
6.	अध्याय 4 : क्षमता विकास एवं अनुसंधान कार्य	21
7.	अध्याय 5 : वित्तीय वर्ष 2022-23 वित्तीय प्रगति एवं 2023-24 आय-व्ययक अनुमान	24
8.	आउटकम / परफोरमेंस बजट 2023-24	26



## मुख्य उद्देश्य— सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने मूलतः निम्न मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है:—

1. राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग एवं क्रियान्वयन का प्रयास करना, जिससे कि विभागीय कार्यप्रणाली में वॉछित सुधार किया जा सके।
2. राष्ट्रीय ई-शासन प्लान (NeGP) का राज्य में क्रियान्वयन एवं उसके अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं का राज्य के अनुरूप विकास एवं संचालन करने की दिशा में प्रयास।
3. राज्य के जिन विभागों द्वारा नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं, का कम्प्यूटरीकरण करना, जिससे नागरिकों को सरलतापूर्वक सुविधायें/ सेवायें प्राप्त हो सकें।
4. विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का सुव्यवस्थित एकत्रीकरण एवं भण्डारण जिससे उन्हें विभिन्न उपयोगकर्ता-समूहों को उपलब्ध कराया जा सके।
5. राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार करना, जिससे कि विभिन्न सामाजिक समूह उसका लाभ उठा सके, और राज्य सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में स्थान प्राप्त कर सके।
6. सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी विभिन्न कार्यशालायें/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कराना, जिससे राज्य के युवा-वर्ग को स्वरोजगार उपलब्ध हो सके।

7. सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी अग्रणी विश्वस्तरीय कम्पनियों एवं संस्थाओं को राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश करने हेतु आकर्षित करना।
8. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहतर नागरिक सुविधाएं, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सामाजिक क्षेत्र में लाभ तथा रोजगार उपलब्ध कराये जाने का प्रयास।
9. ई-गवर्नेन्स के अन्तर्गत शासकीय कार्यों में त्वरित कार्यवाही, पारदर्शिता, कार्यक्षमता एवं दक्षता में सुधार, स्वविवेक तथा पूर्वाग्रह से मुक्त कार्यप्रणाली तैयार करना।
10. ई-शासन के प्रति राजकीय कर्मचारियों तथा जन प्रतिनिधियों में जागरूकता बढ़ाना।
11. राज्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपदा प्रबन्धन हेतु प्लान का विकास करना व साईबर क्षेत्र में साईबर सुरक्षा आदि पर कार्यवाही।

## सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अवयव

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का ढांचा शासन स्तर पर सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी), द्वारा विभाग का मार्गदर्शन किया जा रहा है। सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी) को सहयोगी सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनुसचिव तथा सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग कार्यरत है।

### सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी

क्षेत्र स्तर पर मुख्य रूप से विभाग में वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के रूप में एक संस्था गठित है, जो वर्ष 2004-05 में परियोजना प्रबन्धन इकाई, ई-गवर्नेन्स के रूप में गठित की गई थी। यह संस्था सूचना प्रौद्योगिकी तथा ई-गवर्नेन्स परियोजना हेतु राज्य की नोडल संस्था नामित है, जिसका पुर्नगठन निम्नानुसार किया गया है –

क्र. सं.	पदनाम	सृजित पद
1.	निदेशक	1
2.	अपर निदेशक, प्रशासन	1
3.	अपर निदेशक, वित्त एवं अधिप्राप्ति	1
4.	संयुक्त निदेशक, तकनीकी	1
5.	प्रबन्धक तकनीकी	6
6.	प्रबन्धक लेखा	1
7.	प्रबन्धक अधिप्राप्ति	1
8.	प्रबन्धक संचार एवं जनसंपर्क	1
9.	वैयक्तिक सहायक	1
10.	कन्सलटेंट (ऑडिट एण्ड एकाउण्ट्स)	1
11.	स्टेनोग्राफर	1
12.	परियोजना सहायक	4
13.	डेटा इन्ट्री ऑपरेटर	4
14.	रनर	6
15.	सुरक्षा गार्ड	4

उपरोक्त के अतिरिक्त स्वान, स्टेट डाटा सेंटर तथा ड्रोन परियोजनाओं के संचालन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेल गठित हैं, जिसमें आवश्यकतानुसार तकनीकी मानव संसाधन आउटसोर्स किये गये हैं।

### 1. नेटवर्क एवं डाटा सेंटर पी0एम0सी0—

क्र. सं.	पदनाम	संख्या
1.	आई0सी0टी0 मैनेजर	01
2.	लीड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर	04
3.	इण्टरनल आई0टी0 ओडिटर	02
4.	ई0एम0एस0 टूल एडमिनिस्ट्रेटर	02
5.	सीनियर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर	03
6.	सीनियर क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर	02
7.	सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर	02
8.	सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर	06
9.	नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर	04
10.	डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर	02
11.	सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर	03
12.	बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर	02
13.	नोन आई0टी0 इंजीनियर	03
14.	वीडियो कोन्फ्रेंसिंग एक्सपर्ट	02
15.	नेटवर्क इंजीनियर	188
16.	हैल्पडेस्क टेक्निकल सपोर्ट	04
	कुल	230

2. ड्रोन एप्लीकेशन पी0एम0सी0—

क्र. सं.	पदनाम	संख्या
1.	प्रोजेक्ट मैनेजर	01
2.	सीनियर मोबाईल एप्लीकेशन डेवलपर	01
3.	इमेज प्रोसेसिंग इंजीनियर	01
4.	ड्रोन पायलट एण्ड सिमुलेटर इंजीनियर	02
5.	ट्रेनिंग एण्ड चेंज मैनेजमेंट इंजीनियर	01
6.	प्रोजेक्ट इंजीनियर	01
7.	आर्टीफिसियल/मैक्निक लर्निंग इंजीनियर	01
	कुल	08

3. डिजाईन एण्ड प्रोग्रामिंग पी0एम0सी0—

क्र. सं.	पदनाम	संख्या
1.	सीनियर प्रोग्रामर	01
2.	डाटाबेस डेवलपर	01
3.	डिजाईनर	01
4.	वेब डेवलपर	01
5.	प्रोग्रामर	02
	कुल	06

4. प्रशिक्षण एवं बी0पी0आर0 –पी0एम0सी0—

क्र. सं.	पदनाम	संख्या
1.	बी0पी0आर0 एक्सपर्ट	01
2.	प्रोक्योरमेंट एक्सपर्ट	01
3.	कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सपर्ट	01

4.	कन्सलटेंट कैल्क	01
5.	डाटाबेस एडमिन-कैल्क	01
6.	लेखा सहायक-कैल्क	02
7.	डाटा एन्ट्री ओपरेटर	01
8.	रनर	01
	<b>कुल</b>	<b>09</b>

### सी0एम0 हैल्प लाईन- कार्यरत पद

क्र. सं.	पदनाम	संख्या
1.	प्रबन्धक सी0एम0 हैल्पलाईन	01
2.	सॉफ्टवेयर डेवलपर	02
3.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	03
4.	मल्टीपरपज वर्कर (सहायक)	02
	<b>कुल</b>	<b>08</b>

सी0एम0 पोर्टल का तकनीकी संचालन आई0टी0डी0ए0 परिसर में किया जा रहा है, जिसको वर्तमान में M/s ILEADS AUXILIARY SERVICES PVT LTD. द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें वर्तमान में 55 कॉल सेन्टर एजेण्ट कार्यरत है।

# अध्याय 1

## नीतियां / दिशानिर्देश

---

राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी की आधारभूत संरचना के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य को पूर्ण रूप से डिजिटलीकृत तथा नेटवर्क आधारित समाज की परिकल्पना को पूर्ण करने, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं को प्रोत्साहित कर इलनेक्ट्रोनिक सिस्टम डिजायन तथा विनिर्माण उद्योग में निवेश को आकर्षित कर राज्य के युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2018 जारी की गयी है।

राज्य के पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुचारु बनाने के उद्देश्य से केन्द्रीय Right of Way नीति को अपनाया गया है। इस नीति में राज्य में संचार हेतु ऑप्टिकल फाईबर बिछाये जाने, मोबाईल टावर स्थापित किये जाने की प्रक्रिया हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये हैं।

राज्य के आईटी0 (Information Technology) अवस्थापना के साईबर सुरक्षा हेतु तथा साथ ही राज्य के नागरिकों को साईबर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से Cyber Crisis Management Plan (CCMP) एवं Critical Information Infrastructure (CII) Guideline का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में Sectoral Cert एवं सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी की अध्यक्षता में Cert-UTK समिति गठित की गयी है। उक्त प्लान एवं नीतियों को उत्तराखण्ड कैबिनेट द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा नागरिकोन्मुख सेवाओं की प्रभावी एवं पारदर्शी सर्विस डिलीवरी हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड राज्य सुशासन परिषद तथा मुख्यसचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है।

ड्रोन आधारित प्रणालियों के क्षेत्र में अपार सम्भावनाओं के दृष्टिगत राज्य द्वारा ड्रोन नीति तैयार की जा रही है, जिसके अन्तर्गत ड्रोन के क्षेत्र में प्रशिक्षण भी सम्मिलित होगा, जिससे ड्रोन क्षेत्र में रोजगार के उपलब्ध अनेकों अवसरों का लाभ राज्य के युवा उठा सकेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य डाटा नीति एवं ई-वेस्ट नीति तैयार की जा रही है।

## अध्याय 2

# सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना

भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना विकसित किये जाने हेतु विभिन्न परियोजनायें यथा- क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान), स्टेट डाटा सेंटर, कोमन सर्विस सेंटर इत्यादि क्रियान्वित की गयी, जिनका संचालन वर्तमान में किया जा रहा है।

एन0ई0जी0पी0 के अन्तर्गत यह प्रस्तावित है कि राज्यों के लिए राज्य डाटा केन्द्रों की शुरुआत कर सेवाओं, अनुप्रयोगों तथा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए G2G (सरकार से सरकार), G2C (सरकार से नागरिक) एवं G2B (सरकार से व्यापार) सेवा प्रभावी इलैक्ट्रानिक ढंग से आपूर्ति की जा सके। इन सेवाओं को सामान्य आपूर्ति प्लेटफार्म के माध्यम से सुलभ कराया जा सकता है तथा राज्यव्यापी क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान) एवं सामान्य सेवा केन्द्र (सी0एस0सी0) जैसे केन्द्रीय सम्पर्क अवसंरचना के सहयोग से ग्राम स्तर तक सम्पर्क को बढ़ाया जा सकता है।

### **क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान)**

क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान) का क्रियान्वयन नेशनल ई-गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में स्वीकृत किया गया था, जिसका क्रियान्वयन एन0आई0सी0 के माध्यम से पूर्ण कर जून 2015 से राज्य सरकार को हस्तान्तरित किया गया। राज्य सरकार द्वारा आई0टी0डी0ए0 के माध्यम से राज्यभर में स्वान का संचालन एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है।

स्वान का संचालन वर्टीकल कनेक्टिविटी के रूप में 136 प्वाइंट ऑफ प्रजेन्स (PoP) के माध्यम से किया जा रहा है। स्वान के अन्तर्गत राज्य मुख्यालय से जिला मुख्यालय तथा तहसील/ ब्लॉक मुख्यालय तक

बैंडविड्थ कनेक्टिविटी प्रदान की गयी है। स्वान को जनपद स्तर तक नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एनकेएन) से सयोजित किया गया है, प्रत्येक स्वान केन्द्र मे बीएसएनएल , एनकेएन तथा एयरटेल के माध्यम से उपरोक्त बैंडविड्थ प्रदान की जा रही है। जिला मुख्यालय तक 100/250/500/1024 एमबीपीएस तक बैंडविड्थ उपलब्ध हो रही है, तथा ब्लॉक/ तहसील स्तर तक 10/34/100/300 एम.बी.पी.एस. बैंडविड्थ प्रदान की जा रही है। नेटवर्क के संचालन एवं प्रबन्धन हेतु प्रत्येक च्च पर नेटवर्क इंजीनियर्स तैनात हैं। स्वान उपकरणों के अपग्रेडेशन कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा समस्त स्वान केन्द्रो मे एसडीवीन उपकरणो का इन्सटालेशन किया जा चुका है। स्वान संचालन केन्द्र (Network Operation Center) सचिवालय से सूचना प्रौद्योगिकी भवन (आईटीडीए) में स्थानान्तरित किया जा चुका है तथा सचिवालय से सूचना प्रौद्योगिकी भवन तक ओप्टिकल फाईबर बिछाया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी भवन (आईटीडीए) से विधान सभा, सचिवालय होते हुए सूचना प्रौद्योगिकी भवन (आईटीडीए) तक रिंग-कनेक्टिविटी के माध्यम से 42 विभागो की कनेक्टिविटी गतिमान है।

स्वान नेटवर्क द्वारा (Voice, data & Video) इंटरनेट एवं विडियो कांफ्रेसिंग की सुविधायें ब्लॉक/ तहसील स्तर तक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

राज्य के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न विभागों के लगभग 1950 से अधिक स्थलों पर हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी प्रदान की गयी है, जिसमें मुख्य लोक निर्माण विभाग, कोषागार, राजस्व, वाणिज्य कर, परिवहन, भू-अभिलेख, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, रोजगार एवं सेवायोजन, जिला प्राविधिक शिक्षा आदि हैं। स्वान के अन्तर्गत राज्य के समस्त विभागों को कनेक्टिविटी प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। स्वान नेटवर्क इन्ड ऑफ लाईफ/ इन्ड ऑफ सपोर्ट हो जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा स्वान में स्थापित उपकरणों को आधुनिक तकनीकी (सोफ्टवेयर ड्रिवन) से अपग्रेड कर दिया गया है, साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में निरन्तर बाधित सेवाओं को सुदृढ़ बनाये जाने के लिए

बी0एस0एन0एल0 के अतिरिक्त एयरटेल के माध्यम से वैकल्पिक इण्टरनेट सेवाओं हेतु आबद्ध किया गया है।

## स्टेट डाटा सेंटर

राज्य डाटा सेंटर में प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, राज्य की केन्द्रीय निधि, सुरक्षित डाटा भण्डार, सेवाओं की आन लाइन आपूर्ति, नागरिक सूचना सेवा पोर्टल, राज्य इन्टरनेट पोर्टल, सुदूर प्रबंधन एवं सेवा समेकन आदि के रूप में होंगी। राज्य डाटा सेंटर द्वारा बेहतर प्रचालन एवं प्रबंधन नियंत्रण प्रदान किया जाएगा तथा साथ ही डाटा प्रबंधन की समग्र लागत, सूचना प्रौद्योगिकी संसाधन प्रबंधन, विनियोजन एवं अन्य लागत में कमी आएगी।

राज्य डाटा सेंटर की स्थापना 'उत्तराखण्ड राज्य सूचना प्रौद्योगिकी भवन' आई0टी0 पार्क सहस्त्रधारा रोड़ में डाटा सेंटर की स्थापना वर्ष 2018 में की गयी थी। यह डाटा सेंटर सॉफ्टवेयर आधारित अत्याधुनिक तकनीकी – **HCI-Hyper Convergent Infrastructure** युक्त है। उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित यह डाटा सेंटर देश में राजकीय संस्थाओं के अन्तर्गत इस अत्याधुनिक तकनीकी का प्रथम डाटा सेंटर है। द्वितीय चरण में डाटा सेंटर को स्केल-अप कर 330 टी.बी. अतिरिक्त स्पेस का प्रावधान डाटा सेंटर में किया गया।

Technology	Latest Hyper Converged Infrastructure
Virtual machines	854 VM's
Memory Utilization	13 Tera Byte/ 16.83 Tera Byte
Storage Utilization	220 Tera Byte/ 329.84 Tera Byte
Applications Hosted	130 (85 departments/organisations)

डाटा सेंटर पर राजकीय विभागों के सर्वर स्थापित किये जा रहे हैं, तथा राज्य के नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवायें राज्य के समस्त नागरिकों को इलेक्ट्रानिक रूप में इस डाटा सेंटर के सर्वरों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है। इसके अन्तर्गत विभिन्न 85 विभागों के 130 एप्लीकेशन्स संचालित हैं। डाटा सेंटर के डिजास्टर रिकवरी क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है। वर्तमान में स्टेट डाटा सेंटर पर ई-डिस्ट्रिक्ट,

ई-गेटपास सिस्टम, सी.एम. डैश बोर्ड, ई-ऑफिस, सी.एस.आर. पोर्टल आदि होस्ट कर संचालित किये जा रहे हैं। भविष्य में राज्य के समस्त विभागों के एप्लीकेशन्स एवं सर्वर डाटा सेंटर में स्थापित किये जाने के उद्देश्य से डाटा सेंटर का विस्तारीकरण, नियर बैकअप तथा डिजास्टर रिकवरी हेतु कार्यवाही प्रस्तावित है।

### **सामान्य सेवा केन्द्र 'देवभूमि जन सेवा केन्द्र'**

भारत सरकार द्वारा नेशनल ई-गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना का स्वीकृत की गयी थी। इसके अन्तर्गत समेकित रूप से ग्रामीण जनता को सरकार, निजी एवं सामाजिक क्षेत्र की प्रमुख सेवाओं के लिए शुरु से अंत तक डिलीवरी सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य एक ऐसा प्लेटफार्म विकसित करना है, जो सूचना आधारित तथा गैर-सूचना आधारित सेवाओं के संयोजन से देश के दूरवर्ती क्षेत्रों में ग्रामीण जनता के लाभ के लिए अपने सामाजिक और व्यावसायिक लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए सरकार, निजी तथा सामाजिक क्षेत्र के संगठनों को समर्थ बना सके।

इस परियोजना को लोक-निजी भागीदारी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है सामान्य सेवा केन्द्र नागरिकों तक सरकारी और निजी सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए प्राथमिक भौतिक एवं प्रमुख स्रोत है। इस योजना से ग्रामीण अंचल के जनमानस को तो लाभ प्राप्त होता ही है साथ ही साथ ग्रामीण युवकों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं, तथा उन्हें स्वयं का उद्यम स्थापित करने का विकल्प भी उपलब्ध है।

सी0एस0सी0 केन्द्रों के माध्यम से वर्तमान में निम्नलिखित विभिन्न प्रकार की कुल 186 सेवायें प्रदान की जा रही हैं, कतिपय सेवायें निम्नानुसार हैं-

1. राज्य सरकार की G2C सेवायें
2. केन्द्र सरकार की G2C सेवायें
3. B2C सेवायें
4. बैंकिंग सेवायें

5. शिक्षण सम्बन्धित सेवयें
6. चिकित्सा सेवायें
7. बीमा सेवायें
8. रिस्कल डेवलपमेंट
9. रोजगार आवेदन हेतु सेवायें।
10. प्रशिक्षण कोर्स
11. ट्रैवल बुकिंग सेवायें
12. प्रधानमंत्री जन आरोग्य के अन्तर्गत गोल्डन कार्ड तैयार करना
13. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हेतु पंजीकरण सुविधा।
14. प्रधानमंत्री किशान मानधन हेतु पंजीकरण सुविधा।
15. प्रधानमंत्री किशान निधि हेतु पंजीकरण।
16. स्वरोजगार एवं छोटे व्यापारियों हेतु राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के अन्तर्गत पंजीकरण सुविधा।
17. आर्थिक गणना

वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य में 22244 सी0एस0सी0 केन्द्र पंजीकृत हैं, जिसमें से 12213 सक्रिय हैं। 1273 सी0एस0सी0 महिलाओं द्वारा संचालित हैं। सक्रिय सी0एस0सी0 के अन्तर्गत 9033 सी0एस0सी0 ग्राम पंचायतों में स्थापित हैं। सी0एस0सी0 के माध्यम से 56.29 लाख Transaction हुये थे, जिसके अन्तर्गत कुल 602 करोड़ का लेनदेन हुआ।

**प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान - PMGDISHA** कॉमन सर्विस सेन्टर संचालक (ग्रामीण उद्यमियों) के माध्यम से राज्य में 5.06 लाख ग्रामीण लाभार्थियों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अन्तर्गत अभी तक 787000 लाभार्थियों को पंजीकृत किया जा चुका है, जिसमें से 667565 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है एवं 498708 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है।

## आई0टी0 पार्क में आई0टी0डी0ए0 को अतिरिक्त भूमि आवंटन

आई0टी0 पार्क देहरादून में सिडकुल द्वारा आई0टी0डी0ए0 को अतिरिक्त भूखण्ड 2000 वर्ग मीटर आवंटित किया गया है, जिसका भुगतान रू 2.80 करोड़ आई0टी0डी0ए0 द्वारा सिडकुल को कर दिया गया है। इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा, जिसमें साईबर सिक्योरिटी हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी, ड्रोन इनोवेशन लैब की स्थापना, आई0टी0 इन्कुबेशन फैसिलिटी, ई-वेस्ट हैंडलिंग फैसिलिटी, कार्यशालाओं इत्यादि हेतु ओडिटोरियम/कन्वेंशन सेंटर की स्थापना प्रस्तावित है। ब्रिडकुल को शासन द्वारा कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। ब्रिडकुल द्वारा भवन निर्माण हेतु 3375.88 लाख की डी0पी0आर0 तैयार की गयी है, डी0पी0आर0 पर स्वीकृति उपरान्त निर्माण कार्य यथाशीघ्र आरम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

## अध्याय 3

# सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिक केन्द्रित सेवायें एवं सुशासन

सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सभी विभागों की नागरिक सेवाओं को एकीकृत करते हुए जनमानस तक सुविधाजनक, कुशल एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा “अपणि सरकार” पोर्टल की शुरुआत की गयी है। यह जीरो टॉलेरेन्स ऑन करपशन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का भी प्रतिबिम्ब है।

“अपणि सरकार पोर्टल” के माध्यम से 33 विभागों की 378 सेवाएं को “Faceless, Paperless एवं Cashless” तरीके से आम नागरिकों को उपलब्ध कराया जायेगा। यह सेवाएं नागरिकों को ई-डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों एवं सी0एस0सी0 केन्द्रों एवं पोर्टल पर स्वलाग इन के माध्यम से भी उपलब्ध करायी जायेगी।

क्र0सं0	विभाग का नाम	सेवाओं की संख्या
1	कृषि एवं कृषि विपणन	24
2	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	6
3	आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें (आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग)	14
4	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	17
5	औद्योगिक विकास विभाग	24
6	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	22
7	गृह विभाग	13
8	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	02
9	तकनीकी शिक्षा	14
10	निबन्धन विभाग	05
11	मत्स्य विभाग	07

12	राजस्व विभाग	18
13	लोक निर्माण विभाग	05
14	वन विभाग	05
15	विद्यालयी शिक्षा विभाग	26
16	शहरी विकास विभाग	08
17	श्रम	14
18	समाज कल्याण विभाग	09
19	सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग	01
20	सैनिक कल्याण विभाग	04
21	पंचायती राज विभाग	12
22	कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग	15
23	जिला विकास प्राधिकरण (अल्मोड़ा)	11
24	जिला विकास प्राधिकरण (हरिद्वार)	02
25	ऊर्जा विभाग	31
26	होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं	04
27	नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग	16
28	लघु सिंचाई विभाग	15
29	राष्ट्रीय बचत निदेशालय, उत्तराखंड	02
30	ग्राम्य विकास विभाग	02
31	पेयजल विभाग	13
32	उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	16
33	उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए)	01
	<b>कुल 33 विभाग</b>	<b>378</b>

उपरोक्त के अतिरिक्त 176 सेवायें वेब लिंक के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। अतः इस प्रकार कुल 554 सेवायें अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को प्राप्त हो रही है।

अपणि सरकार पोर्टल के अन्तर्गत सेवा आरम्भ की तिथि 17 नवम्बर 2021 से वर्तमान (मार्च 2023 के प्रथम सप्ताह) तक 32,69,376 आवेदन प्राप्त हुये एवं 28,05,500 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं। पूर्व में नागरिकों को

यह सेवायें सी0एस0सी0 केन्द्रों एवं ई-डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती थी, अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से अब यह सेवायें जनसामान्य को इण्टरनेट के माध्यम से भी उपलब्ध करायी जा रही हैं, जिसके अन्तर्गत नागरिक घर बैठे अपने स्मार्ट फोन/लेपटॉप/कम्प्यूटर से भी स्वयं आवेदन कर सकता है।

## उन्नति पोर्टल

राज्य में प्रधान मंत्री गतिशक्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु “उन्नति पोर्टल” के माध्यम से उत्तराखण्ड सरकार के सभी विभागों के परियोजना को प्रस्तावित किया जा सकता है एवं लंबित विभागीय प्रस्तावों की निगरानी, अनुवर्ती कार्यवाही, परियोजना की प्रगति की निगरानी एवं बेहतर अन्तर्विभागीय समन्वय के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा “उन्नति पोर्टल” विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के अन्तर्गत 43 विभाग एवं उनके 637 परियोजनायें ऑनबोर्ड हैं।

विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, सचिव, एवं स्थानिक आयुक्त, विभागीय परियोजना को “उन्नति पोर्टल” में दर्ज कर सकेंगे एवं जिन परियोजनाओं में विभिन्न विभाग जुड़े हैं, उनकी जानकारी भी पोर्टल पर दर्ज कर पाएंगे, जिससे यह स्पष्ट हो पायेगा कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किस विभाग की क्या भूमिका है।

माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव, महोदय द्वारा प्रस्तावों की समीक्षा की जा सकती है। इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों के द्वारा प्रस्तावों के सम्बन्ध में अन्तर्विभागीय समन्वय भी स्थापित किया जा सकता है।

## **डिजीलॉकर**

डिजिटल लॉकर प्लेटफार्म डिजिटल इण्डिया प्रोग्राम के तहत भारत सरकार की एक पहल है। डिजिटललॉकर डिजिटल तरीके से दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को जारी करने और सत्यापन के लिये एक मंच प्रदान करता है, इस प्रकार पेपरलेस शासन को सक्षम बनाता है। डिजिटल लॉकर प्लेटफॉर्म जारीकर्ताओं, अनुरोधकर्ताओं, सत्यापनकर्ताओं और नागरिकों को

एक मंच पर लाता है और जारी किये दस्तावेजों की सटीकता और प्रमाणिकता सुनिश्चित करता है।

राज्य में डिजि-लोकर के अन्तर्गत लगभग 12 लाख से अधिक डिजि-लोकर स्थापित हो गये हैं तथा डिजीलोकर के अन्तर्गत विभिन्न सेवाओं राजस्व विभाग, शहरी विकास विभाग, पंचायती राज तथा सेवायोजन विभाग की विभिन्न नागरिक केन्द्रित सेवाओं के प्रमाण पत्र डिजिलॉकर के माध्यम से जारी किये जा रहे हैं। विद्यालयी शिक्षा- कक्षा 10 एवं 12वीं के प्रमाण पत्र भी डिजीलॉकर के माध्यम से जारी किये जा रहे हैं।

### **तहसील – ब्लॉक स्तर पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग की स्थापना**

राज्य के समस्त जनपदों में तहसील एवं ब्लॉक स्तर तक वीडियो कान्फ्रेंसिंग की स्थापना स्वान नेटवर्क के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से राज्य में केन्द्रीकृत रूप से स्वान नेटवर्क के माध्यम से वीडियो कान्फ्रेंसिंग की स्थापना का निर्णय लिया गया। वीडियो कान्फ्रेंसिंग की स्थापना केन्द्रीयकृत रूप से करने पर राजकीय धन की बचत होगी, क्योंकि पूर्व में विभिन्न स्तरों पर विभागों द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग हेतु एम.सी.यू. क्रय किये गये थे। यदि सभी विभागों को स्वान नेटवर्क के माध्यम से वीडियो कान्फ्रेंसिंग पर लाया जाता है, तो विभागों को व्यक्तिगत स्तर पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग उपकरणों पर अनावश्यक व्यय की आवश्यकता नहीं होगी।

राज्य मुख्यालय में स्थापित प्रमुख कार्यालय यथा राजभवन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव, सचिवालय में सचिव स्तर तक स्वान केन्द्र, जनपद मुख्यालय, हरिद्वार जनपद में बहादुराबाद में ग्राम पंचायत स्तर तक कुल 274 स्थलों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग की स्थापना की गयी है।

### **मुख्यमंत्री हैल्प लाईन योजना "1905" (CM Help Line):-**

राज्य में सुराज एवं सुशासन की स्थापना के लिए सरकारी तंत्र में पारदर्शिता के साथ-साथ सरकारी कार्यशैली में गुणवत्ता को बढ़ाते हुए एक सहभागी एवं जवाबदेही व्यवस्था का निर्माण एवं आम जनता की

शिकायतों/ समस्याओं/ परिवादों का निर्धारित अवधि में त्वरित निस्तारण कर सूचना प्रदान किये जाने की व्यवस्था मुख्यमंत्री हैल्पलाईन, योजना (टोल फ्री नं० 1905) के माध्यम से प्रारम्भ की गयी। उक्त योजना का शुभारम्भ दिनांक 23 फरवरी, 2019 को मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। उक्त योजना का मूल उद्देश्य "जन समस्याओं का त्वरित एवं सकारात्मक निवारण है।" वर्तमान में उक्त पोर्टल पर कुल 55 विभाग एवं 186 उपविभागों के 4570 अधिकारी पंजीकृत हैं।

वर्तमान में उक्त पोर्टल के साथ सी०पी०ग्राम्स पोर्टल एवं लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम (एल०एम०एस०) पोर्टल का एकीकरण किया जा चुका है, जिसके तहत उक्त माध्यमों से प्राप्त शिकायतों को सम्बन्धित विभागों को ऑनलाईन प्रक्रिया से मैप/प्रेषित किया जाता है, जिसे सम्बन्धित विभागों में नामित विभिन्न स्तर के अधिकारियों एल-1, एल-2, एल-3 एवं एल-4 द्वारा निर्धारित समय-सीमा में निस्तारित किया जाता है, साथ ही निस्तारण उपरान्त शिकायतकर्ता की सन्तुष्टि भी प्राप्त की जाती है। उक्त पोर्टल में अद्यतन की तिथि तक कुल 320004 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, जिसके सापेक्ष 297189 शिकायतों का निस्तारण कर लिया गया है, एवं शेष 22815 शिकायतों पर कार्यवाही गतिमान है। साथ ही 30329 सी०एम० सन्दर्भ प्राप्त हो चुके हैं, जिसके सापेक्ष 22549 सन्दर्भों का निस्तारण हो चुका है, एवं 7780 सन्दर्भों पर कार्यवाही गतिमान है।

### **ई-ऑफिस**

शासकीय कार्यों में तीव्रता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही निर्धारित करने के उद्देश्य से ई-ऑफिस का क्रियान्वयन समस्त विभागों में किया जाना प्रस्तावित है, इसके अन्तर्गत अभी तक जिला प्रशासन, सचिवालय, निदेशालय, निगमों को सम्मिलित करते हुए कुल 272 विभागों में ई-ऑफिस का क्रियान्वयन किया जा चुका है, एवं अन्य 75

विभागों में ई-ऑफिस क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही गतिमान है।  
ई-ऑफिस में कार्य करने हेतु उपरोक्त विभागों के कुल 3211 कर्मियों  
को भौतिक एवं ऑनलाईन माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

## अध्याय 4

# क्षमता विकास एवं अनुसंधान कार्य

---

एन.टी.आर.ओ. व सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेन्सी द्वारा संयुक्त रूप से सूचना प्रौद्योगिकी भवन में ड्रोन एप्लिकेशन एवं अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया गया, जिसके द्वारा राज्य में ड्रोन के उपयोग हेतु विभिन्न उत्पाद – ड्रोन, ड्रोन सम्बन्धित एप्लीकेशन्स निर्मित किये जा रहे हैं। इस केन्द्र के माध्यम से ड्रोन संचालन हेतु पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किये जा रहे हैं। विगत वर्ष चमोली आपदा ड्रोन टीम द्वारा क्षतिग्रस्त नेटवर्क सुविधान को ड्रोन के माध्यम से ओ0एफ0सी0 कनेक्टिविटी को पुर्नस्थापित किया गया।

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण हेतु ड्रोन का कस्टमाइजेशन, मोबाईल ग्राउण्ड नियंत्रण स्टेशन विकसित किया गया। दिनांक 27 से 29 मई 2022 में नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित 'ड्रोन फेस्टिवल ऑफ इण्डिया' में माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मुख प्रदर्शित किया गया। इस स्टेशन का उपयोग राज्य के दुर्गम एवं आपदा सम्भावित क्षेत्रों में ड्रोन के संचालन हेतु किया जा रहा है।

आगामी वर्षों में इस केन्द्र के माध्यम से मिशन प्लानर एप्लीकेशन, नगर नियोजन, वन्यजीव प्रबन्धन-वनाग्नि प्रबन्धन एवं- वन नियोजन प्रबन्धन हेतु ड्रोन तकनीकी का उपयोग एवं एकीकरण इत्यादि कार्य प्रस्तावित हैं।

ड्रोन अनुसंधान केन्द्र के माध्यम से ड्रोन संचालन हेतु संबंधित विभिन्न विभागों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

ड्रोन के माध्यम से निम्नानुसार प्रशिक्षण वर्ष 2018 से वर्तमान तक प्रदान किये गये-

क्रमांक	विभाग	संख्या
1	वन विभाग	06
2	राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एस0डी0आर0एफ0)	96
3	सिंचाई विभाग	34
4	नगर विमानन	13
5	पुलिस विभाग	502
6	अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवायें	21
7	सर्वे ऑफ इण्डिया	58
8	बी0एस0एफ0	547
9	आई0टी0बी0पी0	131
10	ड्रोन कार्यशालायें	179
11	स्वान एवं ई-डिस्ट्रिक्ट	122
12	आई0टी0डी0ए0 कैल्क	38
13	पोलिटैक्निक छात्र/छात्रायें	242
	कुल	1989

### **आई0टी0 स्किल डेवलपमेंट केन्द्रों एवं कैल्क केन्द्रों का संचालन**

माननीय मुख्यमंत्री जी के फ्लैगशिप कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम ग्रोथ सेन्टर योजना का संचालन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है।

इस योजना के अधीन आई0टी0डी0ए0 द्वारा दो स्थलों यथा- कैल्क केन्द्र (Computer Academy & Learning Centre-CALC) आई0डी0पी0एल0, ऋषिकेश एवं कैल्क केन्द्र पिथौरागढ़ पर आई0टी0 स्किल डेवलपमेंट केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इसके अन्तर्गत आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित कम्प्यूटर लैब / डिजिटल क्लास रूम तैयार की गयी है।

इन केन्द्रों का उद्देश्य मुख्यतः स्थानीय नवयुवकों/बेरोजगार युवकों को कम्प्यूटर के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना एवं सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सेवाएं प्रदान करना/स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता करना

है, जिससे कि प्रशिक्षित युवा आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए सूक्ष्म उद्यम चला सकें एवं युवकों के अन्य प्रदेशों में पलायन को कम किया जा सके।

इन केन्द्रों को स्थानीय युवकों/युवतियों हेतु सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण/English Languages / Foreign Languages में भी प्रशिक्षित कर दक्ष बनाने हेतु सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। इन केन्द्रों पर ऑनलाइन परीक्षा / e-learning Programme/ सी0एस0सी0 से सम्बन्धित समस्त सेवाएं एवं प्रदेश में चल रही ई-सेवाएं संचालित की जानी प्रस्तावित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य में पूर्व से चल रहे हिल्ट्रोन कैल्क परियोजना को आई0टी0डी0ए0 वित्तीय वर्ष 2022-23 से आई0टी0डी0ए0 के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य राज्यों में समाज के सभी वर्गों को सस्ती कीमत पर कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से आई0टी0डी0ए0 कैल्क के माध्यम से छात्र-छात्राओं को कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया। आईटी उद्योग की वर्तमान प्रवृत्ति के अनुसार परिभाषित पाठ्यक्रम संरचना के साथ सबसे अच्छे वातावरण के साथ दूरस्थ क्षेत्रों में बेसिक, इण्टरमीडिएट ओर उन्नत स्तर के कैरियर उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करता है। प्रशिक्षण उपकरणों, शिक्षण संकायों जैसी सुविधाओं के साथ उत्तराखण्ड में 36 प्रशिक्षण केन्द्रों का नेटवर्क स्थापित किया गया है।

### ***कैपेसिटी बिल्डिंग परियोजना***

नेशनल ई-गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत राज्य में वर्तमान में कैपेसिटी बिल्डिंग 2.0 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा नेशनल ई-गवर्नेन्स डिवीजन के माध्यम से 05 कन्सलटेंट उपलब्ध कराये गये हैं, जिनके माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेन्स से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियां राज्य में संचालित की जाती है। इसके अतिरिक्त राजकीय विभागों हेतु विभिन्न ई-गवर्नेन्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं साईबर सिक्योरिटी इत्यादि से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालायें समय-समय पर आयोजित की जाती है।

## अध्याय 5

### वित्तीय वर्ष 2022-23 : वित्तीय प्रगति एवं बजट प्रावधान 2023-24

(धनराशि हजार रुपये में)

लेखा शीर्षक / मानक मद	वित्तीय स्थिति 2022-23		आय-व्ययक अनुमान 2023-24
	प्राविधान	स्वीकृत	
<b>राजस्व</b>			
<b>3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 60-अन्य, 600- अन्य सेवायें</b>			
<i>02-राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढीकरण/ITDA को अनुदान</i>			
05-वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	19000	10992	10000
08-पारिश्रमिक	-	-	9000
27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	56000	50023	50000
56 सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	93900	55650	280000
<b>3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 60-अन्य, 600- अन्य सेवायें</b>			
<i>03- क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान) का क्रियान्वयन</i>			
27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	103800	103800	110000
56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	161500	96345	111500
<i>05- विभिन्न विभागों में होरिजोन्टल कनेक्टिविटी हेतु ITDA को अनुदान</i>			
56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	6000	6000	10000
<b>योग 3425- राजस्व</b>	<b>285000</b>	<b>322810</b>	<b>580500</b>

लेखा शीर्षक / मानक मद	वित्तीय स्थिति 2022-23		आय-व्ययक अनुमान 2023-24
	प्राविधान	स्वीकृत	
<b>पूँजीगत</b>			
<b>4859- दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
<b>02-इलेक्ट्रानिक्स 800-अन्य व्यय</b>			
<i>01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना</i>			
<i>15- क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान) का क्रियान्वयन</i>			
55- पूँजीगत परिसम्पतियों का सृजन हेतु अनुदान	22900	-	-
<i>16- राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढीकरण/ITDA को अनुदान</i>			
55- पूँजीगत परिसम्पतियों का सृजन हेतु अनुदान	200000	-	162100
<b>योग 4859- पूँजीगत</b>	<b>222900</b>	<b>322810</b>	<b>162100</b>
<b>कुल योग</b>	<b>663100</b>	<b>322810</b>	<b>742600</b>

## आउटकम / परफॉरमेन्स बजट 2023-24

### विभाग- सूचना प्रौद्योगिकी

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउटले / बजट		01.04.2022 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटपुट) वर्ष 2023-24	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटकम) वर्ष 2023-24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूजीगत					
1.	राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढीकरण	राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा सूचना प्रौद्योगिकी पहल से राज्य में आईटी का सुदृढीकरण।	3490.00	1621.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>आई.टी.डी.ए. का संचालन मानव संसाधन तैनात- 20</li> <li>सूचना प्रौद्योगिकी भवन का अनुरक्षण एवं संचालन</li> <li>मुख्यमंत्री हैल्प लाईन 1905 का संचालन कोल सेंटर 50 सीटर संचालित</li> <li>ई-ऑफिस का क्रियान्वयन- सचिवालय 56 विभाग जिलाधिकारी कार्यालय-03 (Dehradun, US Nagar, Bageshwar) अन्य विभाग ऑनबोर्ड- 12</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>आई.टी.डी.ए. भवन का संचालन मानव संसाधन तैनात-22</li> <li>आईटी0 पार्क अतिरिक्त भूमि पर भवन निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था नामित एवं डी0पी0आर0 तैयार</li> <li>मुख्यमंत्री हैल्प लाईन 1905 का संचालन कोलसेंटर 55 सीटर संचालित</li> <li>ई-ऑफिस का क्रियान्वयन- सचिवालय 68 विभाग जिलाधिकारी कार्यालय-13 अन्य विभाग एवं उप विभाग ऑनबोर्ड- 191</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>आई.टी.डी.ए. का संचालन मानव संसाधन तैनात- 29</li> <li>आवंटित भूमि पर भवन निर्माण।</li> <li>मुख्यमंत्री हैल्प लाईन 1905 का संचालन कोलसेंटर 55 सीटर संचालित</li> <li>ई-ऑफिस का क्रियान्वयन जनपद/ब्लॉक स्तर तक समस्त विभाग।</li> </ul>	राज्य में समस्त सूचना प्रौद्योगिकी तथा ई-गवर्नेन्स परियोजना का संचालन कर ई-गवर्नेन्स / गुड गवर्नेन्स तथा नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेवायें प्रदान करना।	एक वर्ष

					<ul style="list-style-type: none"> <li>● ड्रोन रिसर्च सेंटर का संचालन एवं ड्रोन सम्बन्धी प्रशिक्षण – 976 प्रशिक्षित</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ड्रोन रिसर्च सेंटर का संचालन एवं ड्रोन सम्बन्धी प्रशिक्षण – 1989 प्रशिक्षित</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ड्रोन रिसर्च सेंटर का संचालन एवं ड्रोन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत – 3000 प्रशिक्षित</li> </ul>		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>● स्टेट डाटा सेंटर में 108 एप्लीकेशन्स होस्ट कर संचालित</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● स्टेट डाटा सेंटर में 78 विभागों के 114 एप्लीकेशन्स होस्ट कर संचालित</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● समस्त विभागों को सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित।</li> </ul>		
					अपणि सरकार पोर्टल / ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से नागरिक केन्द्रित सेवायें –84	अपणि सरकार पोर्टल / ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से नागरिक केन्द्रित सेवायें – 378 (इसके अतिरिक्त 176 वेब लिंक के माध्यम से प्रदान)	अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से नागरिक केन्द्रित सेवायें –500 से अधिक		
2.	क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान) का क्रियान्वयन	योजना में स्वतंत्र सरकारी नेटवर्क स्थापित कर इसके माध्यम से G2C एवं G2G सेवायें उपलब्ध कराये जाना।	2215.00	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>● बैंडविड्थ अपग्रेडेशन 10 to 50 Mbps – 113 PoPs above 100Mbps- 20 PoPs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● बैंडविड्थ दो सेवा प्रदाता- बी0एस0एन0एल0 एवं एअरटेल के माध्यम से 136 PoPs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● बैंडविड्थ दो सेवा प्रदाता- बी0एस0एन0एल0 एवं एअरटेल के माध्यम से 141 PoPs</li> </ul>	स्वान के अन्तर्गत कनेक्टेड राजकीय विभागों / कार्यालयों / इकाईयों के ई-शासन कार्य प्रणाली तथा कार्य सम्पादन में वृद्धि।	एक वर्ष
					<ul style="list-style-type: none"> <li>● तकनीकी मानव संसाधन तैनात- 217</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● तकनीकी मानव संसाधन- 217</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● तकनीकी मानव संसाधन तैनात- 217</li> </ul>		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>● प्वाइंट ऑफ प्रिजेन्स केन्द्र संचालन- 133</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● प्वाइंट ऑफ प्रिजेन्स केन्द्र संचालन- 136</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● प्वाइंट ऑफ प्रिजेन्स केन्द्र संचालन- 141</li> </ul>		
3	विभिन्न विभागों में होरिजॉन्टल कनेक्टिविटी हेतु आई.टी. डी.ए. को अनुदान	स्वान नेटवर्क से राजकीय विभागों / कार्यालयों को संयोजित किया जाना	100.00	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>● स्वान पर होरिजॉन्टल कार्यालय संयोजित –1840</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● स्वान पर होरिजॉन्टल कार्यालय संयोजित –1950</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● समस्त कार्यालयों में हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी स्थापित</li> </ul>		एक वर्ष
		योग	<b>5805.00</b>	<b>1621.00</b>					